International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 11, November 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

बालिका बालश्रमिकों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

दिगम्बर प्रसाद सिंह

शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, सि0का0मू0 विश्वविद्यालय, दुमका, झारखण्ड

भारतीय अर्थव्यवस्था की ज्वलन्त समस्याओं में से एक ज्वलन्त समस्या बाल श्रमिक की है। बाल श्रमिक की समस्या नियोजित विकास के 62 वर्षों बाद भी अर्थव्यवस्था के लिये एक नासूर की तरह है। यह समस्या समाज पर एक कलंक होने के नाते गंभीर सामाजिक समस्या है। बाल श्रमिकों का शोषण अन्ततः आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। बाल श्रमिकों के दो पार्ट्स हैं। प्रथम, यह बालक बाल श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। द्वितीय यह बालिका बाल श्रमिक से जुड़ी हुई है, जो समाज और राष्ट्र के लिये एक गंभीर चुनौती है।

बच्चे चाहे बालक हों या बालिका वे परिवार रूपी बगिया के फूल की तरह होते हैं। बाल्यावस्था जिन्दगी का वह हिस्सा होता है, जिसमें उन्हें खेल के मैदान, स्कूल एवं घर में आनन्द, स्वच्छन्द विचरण एवं स्वतंत्रता का एहसास होता है।

उन बच्चे एवं बच्चियों को बालश्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है जिनकी उम्र 4 से 15 वर्षों के बीच होती है तथा जो घर के क्रियाकलापों में बिना किसी भुगतान या बाहर दूसरे के खेतों, फैक्ट्री, होटल, कालिन, शीशा, चूड़ी, बीड़ी, माचिस इत्यादि जैसे उद्योगों में नाम मात्र के भुगतान पर काम करते हैं। बच्चों का काम ऐसा है जिसके अन्तर्गत बिना भुगतान घरेलू कार्यों या खेती, पुस्तैनी पेशे के साथ–साथ बाहर भुगतान के लिये किये गये अनेक तरह के कार्य आ जाते हैं। ये कार्य बच्चों को बालकपन के अधिकार से बंचित करते हैं यथा खेलने की स्वतंत्रता, सीखने एवं शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता तथा विकास की सम्पूर्ण संभावना से वे पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। बाल मजदूरी के बारे में लेबर लॉ में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा मजदूरी को बाल मजदूरी माना गया है। इसके लिए बाल मजदूरों से मजदूरी कराने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान है। श्रमिक विधि के अनुसार यदि किसी बेसहारा श्रमिक को नौकरी पर रखना ही पड़े, नियोक्ता उसकी पूरी सूचना श्रम विभाग को देगा। इसके साथ ही उस बच्चे से 3 घंटे से ज्यादा मजदूरी या काम एवं इस दौरान एक घंटे का विश्राम देना होगा। किसी भी स्थिति में बच्चे से शाम 7 बजे के बाद तथा सुबह 8 बजे से पहले काम नहीं लिया जाना है।

प्रस्तुत शोध में बालिका बाल श्रमिक से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया गया है। इस शोध में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि बालश्रम किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है। 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों या बच्चों से किसी भी क्षेत्र चाहे वह संगठित क्षेत्र हों या असंगठित, काम लेना मानवाधिकार का उल्लंघन है। विश्व के प्रत्येक बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि वह जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताओं को पूरा करे।

बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के (1992) अनुच्छेद 28 में स्पष्ट उल्लेख है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों की प्रत्यक्ष साझेदारी या बहाली सेन्यबलों में या प्रतिकूल कार्यों में प्रतिबंधित होगी। (सैन्यवल, ए.एस. 2006) प्रस्तुत शोध की विषय सामग्री में इन्हीं तथ्यों को उजागर किया गया है।

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

"बालिका बालश्रम की सामाजिक विशेषताएं"

यद्यपि बालिका बालश्रम के संदर्भ में जनगणना आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं है, फिर भी एन0 एस0 एस0 ओ0 प्रतिवेदन 1993–1994 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं अन्य जातिओं की बालिकाओं की तुलना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से ज्यादा सक्रिय थी। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का कार्य भागीदारी दर क्रमशः 13.8 एवं 8.8 प्रतिशत था, जबकी अन्य जातियों की बालिकाओं का कार्यभागीदारी दर 6.5 प्रतिशत था एवं शहरी क्षेत्र में यह दर क्रमशः 6.2, 2.6 एवं 2.9 प्रतिशत था। (देशपाण्डे, सुधा –2007)

एन0 एस0 एस0 ओ0 के आंकड़े चौकाने वाले हैं। उसके प्रतिवेदन के अनुसार भारत में कुल बालश्रमिकों का 40 प्रतिशत बालश्रम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिओं के हैं। समाज के इन वर्गों में गरीबी अधिक होती है। भूमी या पुंजी में इनकी पहुंच अपर्याप्त है। यही कारण है कि इस वर्ग के लड़के–लड़कियाँ कृषि में दैनिक भाड़े के मजदूर के रूप में काम करते हैं और साथ ही विनियोग उद्योगों में दैनिक मजदूर के रूप में कठोर कार्य करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपुर्ण तथ्य यह है कि 50 प्रतिशत बालक बालिकाएं ग्रामीण भारत में कार्यरत हैं, जबकी शहरी भारत में 60 प्रतिशत बच्चे–बच्चियां वैसे परिवार से आते हैं, जिन्हें 1993–1994 में गरीब परिवार के रूप में चिन्हित किया गया था। करीब 59 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एवं 63 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में काम करने वाले बच्चे बच्चियां अपने परिवार की आय वृद्धि के पूरक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। (चोराट 1999)

अतः बालश्रम और गरीबी, खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध को समझना कठिन नहीं है। दुर्भाग्यवश ये आंकड़े सभी बालश्रमिकों के संबंध में है। आंकड़े यह नहीं बताते हैं कि इसमें से बालिका श्रम की संख्यां कितनी हैं। यह जानना संभव नहीं है कि कितनी लड़कियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं लेकिन फिर भी यह मानना गलत नहीं होगा की बहुसंख्यक लड़कियां स्कूल जाने के बजाय खेतों, घरों एवं उद्योगों में काम करती हैं। वे निश्चित रूप से गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा से जूझता हुआ वर्ग होता है।

बालिका बाल श्रमिकों की विशिष्ट समस्याएं :

राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम की संख्याएं घटी हैं, वैसे में एक विश्लेषण ग्रामीण क्षेत्र में बालिका बाल श्रम की सहभागिता में वृद्धि की प्रवृति को दिखाता है।

इस संदर्भ में यह तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रवृति के पीछे जनगणनाओं के बीच पारिभाषिक अंतर जिम्मेवार है। लेकिन यह तथ्य है कि बालश्रम में वृद्धि की प्रवृति केवल बालिका बाल श्रमिकों में एवं केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखी जा सकती है।

1971 से 1991 का जनगणना आँकड़े का एक विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह प्रतिबिम्बित करता है कि 21 राज्यों में से 13 राज्यों में बालिका बालश्रम सहभागिता दर में वृद्धि हुई है। निम्नांकित तालिका से इस तथ्य की पुष्टि होती हैः

तालिका

ग्रामीण बालिका बालश्रम की सहभागिता दर (1971–91)

राज्य	Year वर्ष		
	1971	1981	1991
आन्ध्रा प्रदेश	5.22	12.92	13.58
बिहार	3.18	2.58	3.26
गुजरात	5.19	4.37	7.81
हरियाणा	1.13	1.9	2.24
हिमाचल प्रदेश	9.4	6.66	5.90
जम्मु–कश्मीर	1.59	3.12	NA
कर्नाटका	6.53	8.76	11.34
केरला	1.76	1.11	0.54
मध्य प्रदेश	7.64	9.49	10.66

महाराष्ट्र	7.59	9.89	9.86
मनिपुर	6.5	6.9	5.34
मेघालय	10.35	10.23	NA
नागालैण्ड	12.84	9.86	NA
उड़िसा	2.34	3.7	6.03
पंजाब	0.17	0.46	1.01
राजस्थान	4.92	4.98	9.75
सिक्किम	30.37	12.65	NA
तमिलनाडू	5.48	8.51	6.63
त्रिपुरा	1.19	2.00	NA
उत्तर प्रदेश	2.56	1.58	2.87
वेस्ट बंगाल	1.08	1.34	2.42

स्रोत– भारतीय जनगणना 1971, 1981 और 1991

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालश्रम में ह्रास की जो सामान्य प्रवृति है, वह बालिका बालश्रम के संबंध में सत्य नहीं है। वास्तव में बालिका बाल श्रमिकों से जो कार्य लिये जाते हैं, उसका ऑकलन पुर्णतः कमतर होता है (सोहोनी, 1994) परिणामस्वरूप बाल श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु निर्देशित चालू नीतियाँ बालिका बालश्रम की समस्याओं के समाधान के लिये प्रयाप्त नहीं है। इस विन्दु पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। न्युवेनहिज–(1999) लिखते हैं कि ''लड़कियों द्वारा लिये गये काम बालश्रम के रूप में सिर्फ इसलिये स्वीकृत नहीं किए जाते हैं कि लड़कियों की बाल्या अवस्था बहुत ही अल्प होती है''

"बालिकाओं का संसार" :–

चुँकि इस शोध का विषय बालिका बालश्रमिक है, इसलिए 9–14 वर्ष की आयु समूह के बच्चियों की दुनियां में झांकना आवश्यक है। वे किस वातावरण और परिस्थितियों में रहती हैं, का वर्णन करना इस प्रकार के शोध अध्ययन का एक आवश्यक अंग है। जे0 के0 लिटन, अनुष के0 करण, अनुप के0 सत्पथी ने पांच विभिन्न समूह में बच्चों को बांटकर कुछ बच्चियों का सर्वेक्षण किए हैं। प्रथम समूह में वैसे बच्चियों को लिया गया है जो अपने परिवार की आय एवं उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रत्यक्ष रूप में श्रम बाजार से जुड़ी रहती हैं। दूसरे वे हैं जो घर में और घर के इर्द–गिर्द काम करती हैं और अनौपचारिक विद्यालयों में पढ़ती है। तीसरे और चौथे श्रेणी में वे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और साथ ही घरेलू एवं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। पांचवी श्रेणी में उन बच्चियों को रखा गया है, जो स्कूल जाती हैं और नहीं के बराबर ही घरेलू कार्यों में भाग लेती हैं। लेखकों का मत है कि एक अन्य श्रेणी, अर्थात छठी श्रेणी होना चाहिए, जिसे 'बच्चे कहीं नहीं' के नाम से पुकारा जाना चाहिए। इस श्रेणियों में वैसी सारी बच्चियों को सम्मलित किया जाता है जो न तो विद्यालय पंजी में नामांकित हैं, और न ही एन0 एस0 एस0 ओ0 डाटा के अनुसार बालश्रम में समाहित हैं। व्यवहार में इस श्रेणी के अधिकांश बच्चे कुछेक घरेलू कार्यों, जैसे पानी लाना या कुछ सीमित समय के लिये घर एवं आंगन में झाड़ू–बोहारू देने का काम करती है। (लिटन, करण, सत्पथी – 2005)

सर्वप्रथम हम वैसे दो बच्चियों की दैनिक वृति को प्रस्तुत करना चाहेंगे जो ना तो घरेलू कार्यों में हाथ बंटाती हैं और ना ही किसी स्कूल में पढ़ाई करती हैं :–

ज्योती, (11 वर्ष) फिल्म नगर के एक सरकारी स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ती थी। उसने स्वास्थ्य संबंधी बिमारी के चलते स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। उसके मां–बाप कहते हैं कि उसे एक निजी स्कूल में पढ़ाई के लिये भेजूंगा, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं है। ज्योती को पढ़ाई के प्रति रूचि है। वह कहती है कि वह स्कूल जाना चाहती है और उसे पढ़ाई–लिखई में रूची है। फिर भी वह अपने अध्ययन के प्रति चौकस नहीं है। जब कभी उसके मां–बाप उसे पढ़ने कहते हैं, तो वे या तो खेलती है या तो खेलना प्रारम्भ करती है, या तो घूमने–फिरने को निकल जाती है।

रेखा कुमारी (उम्र 10 वर्ष) अन्य पिछड़ी जाति (मल्लाह) से आती हैं। गांव में उसका परिवार आर्थिक रूप से अन्य परिवारों की तुलना में बेहतर है। रेखा के पिता के पास चार बीघा जमीन है जहां वे सब्जियां उपजाते हैं। रेखा के पिता सोनेलाल साहनी एक मिलनसार एवं सम्मानित व्यक्ति हैं। दुर्भाग्यवश रेखा की पढ़ाई के प्रति बिल्कुल उदासीन दिखते हैं, फिर भी वे चाहते थे की रेखा कम से कम पढ़ना लिखना सीख जाय। रेखा स्कूल छोड़ चुकी है और घरेलू कार्यों में भी उनका विशेष योगदान नहीं है। दूसरी कक्षा के बाद वे स्कूल नहीं जाती है। कारण यह कि स्कूल घर से दूर है, जहां जाना आना एक समस्या है। रेखा अपना नाम सही–सही लिख सकती है और हिन्दी पढ़नें में सक्षम है। रेखा के पास कोई काम नहीं है, अतः वह अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ बात–चीत में बर्बाद करती हैं। इस प्रकार रेखा के कार्यों को बालश्रम की परिधि में नहीं रखा जा सकता है। वस्तुतः उसका मामला स्कूल ना जाने वाली एक बालिका का है, जो अपना समय परिवार के इर्द–गिर्द बिताती है।

ज्योती और रेखा दो भिन्न उदाहरण हैं जो ना तो स्कूल जाती हैं और ना ही घरेलू कार्य करती हैं और ना ही आय उपार्जित करती हैं।

नरेन्द्र और शोभा का उदाहरण अलग है। ये दोनों उदाहरण आन्ध्र प्रदेश के फिल्मनगर सलम का है। नरेन्द्र पांचवीं कक्षा तक पढ़ा है। पढ़ने मं वह अच्छा छात्र था। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार की दैनिक एवं माली हालत के चलते उसे पढ़ाई त्यागनी पड़ी। वह एक तम्बाकु की दुकान में काम करता है। बारह से चौदह घंटे उनसे काम लिया जाता है।

शोभा की जिन्दगी भी बहुत कुछ नरेन्द्र जैसा ही है। उसे माता–पिता की आत्महत्या के बाद परिवार चलाने के लिये पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है। उनका काम झाड़ू लगाना, वर्तन साफ करना और कपड़ा धोना है। उसकी दादी भी घरेलू नौकरानी का ही काम करती है।

उपर्युक्त दोनो मामलों में दोनों बच्चे के पास एक ही विकल्प है, और वह है परिवार के पालन पोषण के लिए काम करना।

पिंकी 13 साल की है। बिहार की रहने वाली है। पांचवीं क्लास में नामांकित है। स्कूल जाने के अतिरिक्त अनेकों घरेलू कार्यों को संपादित करती है। पिंकी की दिनचर्या घरेलू कार्यों से ही शुरू होती है। वे घरेलू कार्यों में मां की मदद करती है। तत्पश्चात् ट्यूशन पढ़ने जाती है। ट्यूशन से लौटने के बाद वह स्नान करती है, खाती है, और फिर स्कूल जाती है। फिर वह शाम को घरेलू कार्यों में मां का साथ देती है।

उर्मिला (10 वर्ष) दिल्ली में प्रतिदिन स्कूल जाती है और अपने घर का भी काम करती है। उसकी दो छोटी बहने हैं, और एक छोटा भाई है। उसके पिता मध्यप्रदेश के प्रवासी हैं। दिल्ली पितमपुरा में जूते की एक छोटी सी दुकान है। दो कमरों वाला मकान में रहती है, जिसका एक कमरा रसोईघर के रूप में प्रयुक्त होता है, और एक कमरे में सभी बच्चे मां बाप के साथ रहते हैं। बच्चियां प्रायः परिश्रमी होती हैं, और अच्छा खासा समय घरेलू कायों को निबटाने में लगाती हैं। लेकिन यह बहुत हद तक मां बाप पर खास कर मां पर निर्भर करता है कि वे अपनी बच्चियों को घरेलू कार्यों में हाथ बंटाने के लिये कहती हैं, या बच्चियों को पूर्ण रू‍प से पढ़ाई करने को कहती हैं। उर्मिला की मां इस मामले में स्पष्ट है। वे उर्मिला को घरेलू कार्यों में नहीं लगाती है, जब की वे स्वयं एक दक्ष दर्जी हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त उदाहरण बालिका बालश्रम की सर्वव्यापकता का एक स्पष्ट प्रमाण है। यह केवल देश के विभिन्न प्रदेशों में नहीं, बल्कि विदेशों में भी मौजूद है। इतना ही नहीं यह समस्या गांव और शहरों, दोनो जगहों में मौजूद है। बालक बालिकाओं (5–14 साल तक) से किसी भी प्रकार का श्रम लेना उनके बचपन के साथ अन्याय तो है ही, उनके भविष्य के साथ भी खेलवाड़ है। मानवाधिकार हनन का एक ज्वलंत पहलू है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) सेनवाय, ए0एस0, चैयर, एडोप्सन, स्क्रूटिनी, कमिटि, इण्डियन, काउंसिल ऑफ सोसल वेलफेयर, केरल स्टेट ब्रांच, इण्डिया, ई–मेल–shenoyas2006@yahoo.co,

(2) बॉयडेन, जे0, 1991, (वर्किंग चिल्डरन इन लिमा पेरू", इन डब्लू ई0 मेयर्स, सम्पादित, प्रोटेक्टिंग वर्किंग चिल्डरन : जेड बुक्स लिमिटेड इन0 एशोसियेशन विथ यू0एन0आई0सी0ई0एफ0 (यूनाईटेड नेशन्स चिल्डरन्स फंड)

(3) टिन्डा, एम0, 1979 "इकोनोमिक एक्टिविटी ऑफ चिल्डरन इन पेरू : लेबर फोर्स विहेवियर इन रूरल एण्ड यरबन कन्टेक्स्ट", रूरल सोसियोलॉजी 44:370– 391.

(4) वेनर, एम0, 1991 " दि चाइल्ड एण्ड दि स्टेट इन इंडिया" प्रिंसटन, न्यूजर्सी : प्रिंसटन यूनिवर्टिटी प्रेस।

(5) वही।

(6) देश पाण्डेय सुधा आलेख (अनुवाद) वालिका बाल श्रम और भारत में खाद्य असुरक्षा, सम्पादित पुस्तक, "कमिंग टू गिप्स विथ रूरल चाइल्ड वर्कः ए फूड सिक्योरिटि एप्रोच" द्वारा निरा रामचन्द्रन एवं लाइओनेस मासुन, न्यू दिल्ली– 2002

(7) थोराट, सुखदेव के0 (1999), पॉवर्टी, कास्ट एण्ड चाइल्ड लेबर इन इंडिया : द प्लाइट ऑफ दलित एण्ड आदिवासी चिल्डरेन) इन भोल्युम, क्लॉज (सम्पादित) (1999)

(8) लिटन, जी0के0, करन, के0 अनुप एवं सतपथी, के0 अनुप, 'चिल्डरन, स्कूल एण्ड वर्क : ग्लीम्पसेस फ्रोम इंडिया' मनोहर पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2005, पे0सं0– 88– 89.

(9) वही, पेज सं0– 92